रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3709] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 16, 2019/कार्तिक 25, 1941
No. 3709] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 16, 2019/KARTIKA 25, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2019

का.आ. 4132(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार का मत है कि हन्नीवट्रैप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (इसमें इसके पश्चात एचएनएलसी कहा गया है) तथा इसके सभी गुट, स्कंध और अग्रणी संगठन खुलेआम घोषित करते रहे हैं कि मेघालय राज्य (खासी और जैंतिया जनजातीय बाहुल्य आबादी वाले) क्षेत्र को भारत संघ से अलग किए जाने का इसका उद्देश्य है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि एचएनएलसी ने ---

(i) खासी और जैंतिया के जनजातीय बाहुल्य वाले मेघालय राज्य के क्षेत्रों को भारत से अलग करने का खुलेआम उद्देश्य घोषित किया है;

(ii) अपने संगठन के लिए निधि हेतु जबरन धन वसूली करना, आम नागरिकों को डराना और धमकाना जारी रखा है;

(iii) जबरन धन वसूली और डराने-धमकाने का कृत्य करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही समूहों के साथ संपर्क बनाए रखा है;

(iv) अपने काडरों के शरण-स्थल तथा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए बांग्लादेश में शिविरों को कायम रखा है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार का मत है कि एचएनएलसी ऐसी गैर-कानूनी और हिंसात्मक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं–

(क) 01 जनवरी, 2015 से 31 जुलाई, 2019 की अवधि के दौरान 04 हिंसक घटनाओं तथा 01 आम नागरिक की हत्या में संलिप्त होना;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान, इसके 16 काडरों का गिरफ्तार किया जाना;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान, 04 हथियारों का बरामद किया जाना;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान, इसके 14 काडरों का आत्म-समर्पण किया जाना;

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान 04 व्यक्तियों को अपहरण किया गया;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि उपर्युक्त कारणों से एचएनएलसी अपने गुटों, स्कंधों और अग्रणी संगठनों के साथ एक गैर-कानूनी संघ है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि एचएनएलसी की उपर्युक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए अहितकर हैं और यदि इन पर अंकुश नहीं लगाया गया और नियंत्रित नहीं किया गया तो कथित एचएनएलसी पुन: समूह तैयार करेगा और हथियार से लैस हो जाएगा। अपने काडरों का विस्तार करेगा, अत्याधुनिक किस्म के हथियार खरीदेगा जिसकी वजह से आम नागरिकों तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों को जानें गंवानी पड़ सकती है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बढ़ सकती है;

अत:, अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37), (इसमें इसके पश्चात, उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा हन्नीवट्रैप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एचएनएलसी) तथा इसके सभी गुटों, स्कंधों और अग्रणी संगठनों को 'गैर-कानूनी संघ' घोषित करती है;

केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि हन्नीवट्रैप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल की उपर्युक्त गतिविधियों पर सम्यक नजर रखते हुए और विगत में एचएनएलसी द्वारा की गई हिंसक गतिविधियों पर विचार करते हुए, ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनमें एचएनएलसी तथा इसके सभी गुटों, स्कंधों और अग्रणी संगठनों को तत्काल प्रभाव से गैर-कानूनी संघ घोषित किया जाना आवश्यक है और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अध्यधीन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी;

[फा. सं. 11011/02/2019-एनई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2019

S.O. 4132(E).—Whereas, the Central Government is of the opinion that the Hynniewtrep National Liberation Council (hereinafter referred to as the HNLC) along with all its factions, wings and front organisations of Meghalaya has been openly declaring as its objective the secession of the areas in the State of Meghalaya (largely inhabited by Khasi and Jaintia tribals) from the Indian Union;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the HNLC has, -

(i) openly declared objective for secession of areas in the State of Meghalaya, largely inhabited by Khasi and Jaintia tribals from India;

(ii) continued intimidation and bullying of the civilian population for extortion of funds for their organisation;

(iii) maintained links with other insurgent groups of the North Eastern region for carrying out acts of extortion and intimidation;

(iv) maintained camps in Bangladesh for the purpose of sanctuary and training of their cadres ;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that the unlawful and violent activities which are attributed to HNLC include –

(a) four incidents of violence involving killing of one civilian, during the period from 1st January, 2015 to 31st July, 2019;

(b) arrest of sixteen of its cadres during the said period;

(c) recovery of four weapons during the said period;

(d) surrender of fourteen of its cadres during the said period;

(e) four persons have been kidnapped during the above said period;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that for the reasons aforesaid, the HNLC together with its factions, wings or front organisations, is an 'unlawful association';

And whereas, the Central Government is also of the opinion that the aforesaid activities of the HNLC are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled, the HNLC would regroup and rearm itself, expand its cadres, procure sophisticated weapons, cause loss of lives of civilians and security forces, and accelerate its anti-national activities;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC), along with all its factions, wings and front organisations as unlawful association;

The Central Government, having regard to the activities of HNLC, mentioned above, and to meet the violent activities committed by HNLC in the past, is of the opinion that circumstances exist which render it necessary to declare the HNLC, along with all its factions, wings and front organisations to be an unlawful association with immediate effect and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 11011/02/2019-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.11.16 13:48:45 +05'30'